

छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

:: मंत्रालय ::

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर

// आदेश //

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 10/06/2020

क्रमांक एफ 7-18/2017/32: छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17-क (1) के अंतर्गत निवेश क्षेत्र की विकास योजना तैयार करने हेतु समिति का गठन में धारा 17-क (झ) में उल्लेखित समिति के संयोजक में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

क्र	निवेश क्षेत्र का नाम	वर्तमान में नियुक्त समिति का संयोजक	आदेश क्रमांक एवं दिनांक	नवीन संयोजक
1	2	3	4	5
1	लखनपुर	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर।	एफ 7-18/2017/32 दिनांक 06.08.2019	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर।
2	डोंगरगांव	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, दुर्ग।	एफ 9-20/2005/32 दिनांक 03.03.2016	उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, राजनांदगांव।
3	मनेन्द्रगढ़	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर।	एफ 7-4/2019/32 दिनांक 27.05.2019	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर।
4	शिवरीनारायण	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर।	एफ 7-25/2017/32 दिनांक 31.07.2019	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर।
5	कटघोरा	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर।	एफ 7-15/2019/32 दिनांक 06.08.2019	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(श्री. तिकी)

उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग